संख्या-153 /2025/2188/26-3-2025-1850307

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 2025

विषय:-**चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-"2225 व 2235" में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-742-44/1-स0क0/लेखा-बजट/वि0स्वीकृति/2025-26, दिनांक 07-08-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं लेखाशीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण हेतु विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि रू0 460944.305 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-92/2025/988/26-3-2025-1397413, दिनांक 09-04-2025 के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं लेखाशीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण हेतु कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 39,00,82,49,500/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-" एवं "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण" के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **अवशेष कुल धनराशि रू0 31,96,38,83,500 (रुपये इकतीस अरब छियानबे करोड़ अड़तीस लाख तिरासी हजार पाँच सौ मात्र)** अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं

प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	द्वितीय किश्त के रूप निर्गत धनराशि
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	01 (वेतन)	5,96,47,000 रुपये पाँच करोड़ छियानबे लाख सैंतालीस हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	02 (मजदूरी)	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	03 (मंहगाई भत्ता)	3,57,88,000 रुपये तीन करोड़ सत्तावन लाख अट्ठासी हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	04 (यात्रा व्यय)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	06 (अन्य भत्ते)	55,000 रुपये पचपन हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	07 (मानदेय)	12,500 रुपये बारह हजार पाँच सौ मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	08 (कार्यालय व्यय)	54,00,000 रुपये चौवन लाख मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	09 (विद्युत देय)	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	10 (जलकर / जल प्रभार)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	15,25,000 रुपये पन्द्रह लाख पच्चीस हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	2,25,000 रुपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	52,50,000 रुपये बावन लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	22,50,000 रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	18 (प्रकाशन)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	29 (अनुरक्षण)	8,40,000 रुपये आठ लाख चालीस हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	42 (अन्य व्यय)	3,60,000 रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	13,25,000 रुपये तेरह लाख पच्चीस हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	49 (चिकित्सा व्यय)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र
080	2225010010300	51	40,000

	(मुख्यालय अधिष्ठान)	(वर्दी व्यय)	रुपये चालीस हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	55 (मकान किराया भत्ता)	48,50,000 रुपये अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
	कुल		**13,01,17,500** **(रुपये तेरह करोड़ एक लाख सत्रह हजार पाँच सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)

080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	01 (वेतन)	3,18,50,000 रुपये तीन करोड़ अठारह लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	03 (मंहगाई भत्ता)	1,91,10,000 रुपये एक करोड़ इक्यानबे लाख दस हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	04 (यात्रा व्यय)	2,75,000 रुपये दो लाख पचहत्तर हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	06 (अन्य भत्ते)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	07 (मानदेय)	7,500 रुपये सात हजार पाँच सौ मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	08 (कार्यालय व्यय)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	09 (विद्युत देय)	17,00,000 रुपये सत्रह लाख मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	10 (जलकर / जल प्रभार)	1,37,500 रुपये एक लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	3,00,000 रुपये एक करोड़ आठ लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	3,00,000 रुपये पैंसठ लाख दस हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	30,00,000 रुपये बीस हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	2,00,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व)	13,00,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	42 (अन्य व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	1,00,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	11,50,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	49 (चिकित्सा व्यय)	7,50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	51 (वर्दी व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	55 (मकान किराया भत्ता)	21,00,000 रुपये चौदह लाख मात्र
080	2225010010400 (मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	5,00,000 रुपये आठ लाख चालीस हजार मात्र

	कुल		6,67,80,000 (रुपये छह करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)

080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	01 (वेतन)	20,96,50,000 रुपये बीस करोड़ छियानवे लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	03 (मंहगाई भत्ता)	12,57,90,000 रुपये बारह करोड़ सत्तावन लाख नब्बे हजार मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	04 (यात्रा व्यय)	18,00,000 रुपये अठारह लाख मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	5,50,000 रुपये पाँच लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	06 (अन्य भत्ते)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	07 (मानदेय)	75,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	08 (कार्यालय व्यय)	1,20,00,000 रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	09 (विद्युत देय)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	10 (जलकर / जल प्रभार)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	22,50,000 रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	10,50,000 रुपये दस लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	17 (किराया, उपभुक्त और कर-स्वामित्व)	7,50,000 रुपये सात लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	42 (अन्य व्यय)	4,50,000 रुपये चार लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	3,50,000 रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	32,50,000 रुपये बत्तीस लाख पचास हजार मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	49 (चिकित्सा व्यय)	55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	51 (वर्दी व्यय)	1,55,000 रुपये एक लाख पचपन हजार मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	55 (मकान किराया भत्ता)	1,05,00,000 रुपये एक करोड़ पाँच लाख मात्र
080	2225010010500 (जिला कार्यालयों का अधिष्ठान)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र
	कुल		39,16,70,000

			(रुपये उनतालीस करोड़ सोलह लाख सत्तर हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)

080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	01 (वेतन)	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	03 (मंहगाई भत्ता)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	04 (यात्रा व्यय)	15,000 रुपये पन्द्रह हजार मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	06 (अन्य भत्ते)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	07 (मानदेय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	08 (कार्यालय व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	09 (विद्युत देय)	55,000 रुपये पचपन हजार मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	10 (जलकर / जल प्रभार)	11,000 रुपये ग्यारह हजार मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	20,000 रुपये बीस हजार मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	20,000 रुपये बीस हजार मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	15,000 रुपये पन्द्रह हजार मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	49 (चिकित्सा व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	51 (वर्दी व्यय)	2,500 रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र
080	2225011020300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	55 (मकान किराया भत्ता)	3,50,000 रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र
080	2225011020300	58	50,000

	(औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना)	(आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	रुपये पचास हजार मात्र
	कुल		87,38,500 (रुपये सत्तासी लाख अड़तीस हजार पाँच सौ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)

080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	01 (वेतन)	3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	03 (मंहगाई भत्ता)	2,10,00,000 रुपये दो करोड़ दस लाख मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	04 (यात्रा व्यय)	37,500 रुपये सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	06 (अन्य भत्ते)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	07 (मानदेय)	80,000 रुपये अस्सी हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	08 (कार्यालय व्यय)	18,00,000 रुपये अठारह लाख मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	09 (विद्युत देय)	36,30,000 रुपये छत्तीस लाख तीस हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	10 (जलकर / जल प्रभार)	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	70,000 रुपये सत्तर हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	37,500 रुपये सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	62,500 रुपये बासठ हजार पाँच सौ मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	21 (छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन)	500 रुपये पाँच सौ मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	29 (अनुरक्षण)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	39 (औषधि तथा रसायन)	55,000 रुपये पचपन हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	42 (अन्य व्यय)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	75,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	49 (चिकित्सा व्यय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	51 (वर्दी व्यय)	10,000 रुपये दस हजार मात्र

080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	55 (मकान किराया भत्ता)	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र
080	2225012770300 (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र
	कुल		**6,71,33,000** **(रुपये छह करोड़ इकहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)

080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	01 (वेतन)	10,97,00,000 रुपये दस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	02 (मजदूरी)	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	03 (मंहगाई भत्ता)	6,58,20,000 रुपये छह करोड़ अट्ठावन लाख बीस हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	04 (यात्रा व्यय)	1,65,000 रुपये एक लाख पैंसठ हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	55,000 रुपये पचपन हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	06 (अन्य भत्ते)	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	07 (मानदेय)	75,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	08 (कार्यालय व्यय)	25,50,000 रुपये पच्चीस लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	09 (विद्युत देय)	5,45,00,000 रुपये पाँच करोड़ पैंतालीस लाख मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	10 (जलकर / जल प्रभार)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	4,25,000 रुपये चार लाख पच्चीस हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	11,50,000 रुपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	15,000 रुपये पन्द्रह हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	29 (अनुरक्षण)	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	42 (अन्य व्यय)	14,00,000 रुपये चौदह लाख मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	4,50,000 रुपये चार लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	1,80,000 रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	49 (चिकित्सा व्यय)	20,50,000 रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	51 (वर्दी व्यय)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	55 (मकान किराया भत्ता)	55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र
080	2225012770400 (अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	27,50,000 रुपये सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र

	कुल		**25,14,35,000** **(रुपये पच्चीस करोड़ चौदह लाख पैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225012770700 (विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना))

080	2225012770700 (विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना))	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	1,12,50,00,000 रुपये एक अरब बारह करोड़ पचास लाख मात्र
	कुल		**1,12,50,00,000** **(रुपये एक अरब बारह करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)

080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	01 (वेतन)	11,97,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ सत्तानबे लाख मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	02 (मजदूरी)	11,50,000 रुपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	03 (मंहगाई भत्ता)	7,18,20,000 रुपये सात करोड़ अठारह लाख बीस हजार मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	04 (यात्रा व्यय)	2,75,000 रुपये दो लाख पचहत्तर हजार मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	06 (अन्य भत्ते)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	07 (मानदेय)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	08 (कार्यालय व्यय)	7,50,000 रुपये सात लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	09 (विद्युत देय)	3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	10 (जलकर / जल प्रभार)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	9,50,000 रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	19 (विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	29 (अनुरक्षण)	7,50,000 रुपये सात लाख पचास हजार मात्र

080	2225012770900 (ज्योतिबाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	39 (औषधि तथा रसायन)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिबाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	41 (भोजन व्यय)	1,80,00,000 रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिबाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	42 (अन्य व्यय)	1,65,000 रुपये एक लाख पैंसठ हजार मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिबाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	90,000 रुपये नब्बे हजार मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिबाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिबाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	75,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिबाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	49 (चिकित्सा व्यय)	9,00,000 रुपये नौ लाख मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिबाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	51 (वर्दी व्यय)	30,000 रुपये तीस हजार मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिबाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	55 (मकान किराया भत्ता)	54,00,000 रुपये चौवन लाख मात्र
080	2225012770900 (ज्योतिबाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	1,25,00,000 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र
	कुल		**27,16,05,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ सोलह लाख पाँच हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)

080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	01 (वेतन)	72,50,000 रुपये बहत्तर लाख पचास हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	03 (मंहगाई भत्ता)	43,50,000 रुपये तैंतालीस लाख पचास हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	04 (यात्रा व्यय)	20,000 रुपये बीस हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	06 (अन्य भत्ते)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	07 (मानदेय)	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	08 (कार्यालय व्यय)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र
080	2225012771300	09	25,00,000

	(अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	(विद्युत देय)	रुपये पच्चीस लाख मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	10 (जलकर / जल प्रभार)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	1,75,000 रुपये एक लाख पचहत्तर हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	2,75,000 रुपये दो लाख पचहत्तर हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व)	27,00,000 रुपये सत्ताईस लाख मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	29 (अनुरक्षण)	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	41 (भोजन व्यय)	27,50,000 रुपये सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	42 (अन्य व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	43 (सामग्री एवं सम्मूर्ति)	2,40,000 रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	55,000 रुपये पचपन हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	49 (चिकित्सा व्यय)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	51 (वर्दी व्यय)	10,000 रुपये दस हजार मात्र
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये	55 (मकान किराया भत्ता)	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र

	राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)		
080	2225012771300 (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र
	कुल		**4,06,75,000 (रुपये चार करोड़ छह लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	01 (वेतन)	34,98,00,000 रुपये चौंतीस करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	03 (मंहगाई भत्ता)	20,98,80,000 रुपये बीस करोड़ अट्ठानबे लाख अस्सी हजार मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	04 (यात्रा व्यय)	15,40,000 रुपये पन्द्रह लाख चालीस हजार मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	2,90,000 रुपये दो लाख नब्बे हजार मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	06 (अन्य भत्ते)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	07 (मानदेय)	7,500 रुपये सात हजार पाँच सौ मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	08 (कार्यालय व्यय)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	09 (विद्युत देय)	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	10 (जलकर / जल प्रभार)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	1,25,000 रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	2,20,000 रुपये दो लाख बीस हजार मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	75,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	42 (अन्य व्यय)	1,25,000 रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	2,80,000 रुपये दो लाख अस्सी हजार मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2225017930300	49	30,00,000

	(मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	(चिकित्सा व्यय)	रुपये तीस लाख मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	51 (वर्दी व्यय)	40,000 रुपये चालीस हजार मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	55 (मकान किराया भत्ता)	1,55,00,000 रुपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र
080	2225017930300 (मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
	कुल		58,81,82,500 (रुपये अट्ठावन करोड़ इक्यासी लाख बयासी हजार पाँच सौ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	01 (वेतन)	5,06,00,000 रुपये पाँच करोड़ छह लाख मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	02 (मजदूरी)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	03 (मंहगाई भत्ता)	3,03,60,000 रुपये तीन करोड़ तीन लाख साठ हजार मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	04 (यात्रा व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	06 (अन्य भत्ते)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	07 (मानदेय)	2,500 रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	08 (कार्यालय व्यय)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	09 (विद्युत देय)	7,15,000 रुपये सात लाख पन्द्रह हजार मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	10 (जलकर / जल प्रभार)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	29 (अनुरक्षण)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र

080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	39 (औषधि तथा रसायन)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	41 (भोजन व्यय)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	42 (अन्य व्यय)	40,000 रुपये चालीस हजार मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	49 (चिकित्सा व्यय)	1,25,000 रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	51 (वर्दी व्यय)	5,000 रुपये पाँच हजार मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	55 (मकान किराया भत्ता)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र
080	2225808000301 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	55,000 रुपये पचपन हजार मात्र
	कुल		**9,78,77,500** **(रुपये नौ करोड़ अठहत्तर लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)

080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	01 (वेतन)	1,08,50,000 रुपये एक करोड़ आठ लाख पचास हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	03 (मंहगाई भत्ता)	65,10,000 रुपये पैसठ लाख दस हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	04 (यात्रा व्यय)	20,000 रुपये बीस हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	06 (अन्य भत्ते)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	07 (मानदेय)	25,000 पच्चीस हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	08 (कार्यालय व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	09 (विद्युत देय)	75,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	10 (जलकर / जल प्रभार)	50,000 पचास हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	15,000 रुपये पन्द्रह हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व)	10,000 रुपये दस हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	29 (अनुरक्षण)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2225808000501	45	50,000

	(राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	(अवकाश यात्रा व्यय)	रुपये पचास हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	49 (चिकित्सा व्यय)	60,000 रुपये साठ हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	51 (वर्दी व्यय)	1,500 रुपये एक हजार पाँच सौ मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	55 (मकान किराया भत्ता)	6,50,000 रुपये छह लाख पचास हजार मात्र
080	2225808000501 (राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	5,000 रुपये पाँच हजार मात्र
	कुल		1,84,96,500 (रुपये एक करोड़ चौरासी लाख छियानवे हजार पाँच सौ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)

080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	01 (वेतन)	14,00,000 रुपये चौदह लाख मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	03 (मंहगाई भत्ता)	8,40,000 रुपये आठ लाख चालीस हजार
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	04 (यात्रा व्यय)	5,000 रुपये पाँच हजार मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	7,500 रुपये सात हजार पाँच सौ मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	06 (अन्य भत्ते)	12,500 रुपये बारह हजार पाँच सौ मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	07 (मानदेय)	500 रुपये पाँच सौ मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	08 (कार्यालय व्यय)	12,500 रुपये बारह हजार पाँच सौ मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	09 (विद्युत देय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	12,500 रुपये बारह हजार पाँच सौ मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	12,500 रुपये बारह हजार पाँच सौ मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	10,000 रुपये दस हजार मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	49 (चिकित्सा व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	51 (वर्दी व्यय)	1,000 रुपये एक हजार मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	55 (मकान किराया भत्ता)	75,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र
080	2225808000503 (विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
	कुल		25,39,000 (रुपये पच्चीस लाख उनतालीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235018000300 (कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
080	2235018000300 (कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
	कुल		5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)

080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	01 (वेतन)	24,00,000 रुपये चौबीस लाख मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	03 (मंहगाई भत्ता)	14,40,000 रुपये चौदह लाख चालीस हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	04 (यात्रा व्यय)	5,000 रुपये पाँच हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	10,000 रुपये दस हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	06 (अन्य भत्ते)	10,000 रुपये दस हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	07 (मानदेय)	5,000 रुपये पाँच हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	08 (कार्यालय व्यय)	7,500 रुपये सात हजार पाँच सौ मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	09 (विद्युत देय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	10 (जलकर / जल प्रभार)	12,500 रुपये बारह हजार पाँच सौ मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	7,500 रुपये सात हजार पाँच सौ मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	12,500 रुपये बारह हजार पाँच सौ मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	29 (अनुरक्षण)	15,000 रुपये पन्द्रह हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	41 (भोजन व्यय)	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	42 (अन्य व्यय)	5,000 रुपये पाँच हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	49 (चिकित्सा व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	51 (वर्दी व्यय)	1,000 रुपये एक हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	55 (मकान किराया भत्ता)	1,25,000 रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र
080	2235021040300 (वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
	कुल		44,81,000 (रुपये चौवालीस लाख इक्यासी हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021040400 (भिक्षावृत्ति का निवारण)

080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	01 (वेतन)	2,15,00,000 रुपये दो करोड़ पन्द्रह लाख मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	03 (मंहगाई भत्ता)	1,29,00,000 रुपये एक करोड़ उनतीस लाख मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	04 (यात्रा व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	15,000 रुपये पन्द्रह हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	06 (अन्य भत्ते)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	08 (कार्यालय व्यय)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	09 (विद्युत देय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	10 (जलकर / जल प्रभार)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	7,500 रुपये सात हजार पाँच सौ मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	17 (किराया, उपभुक्त और कर-स्वामित्व)	82,500 रुपये बयासी हजार पाँच सौ मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	29 (अनुरक्षण)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	41 (भोजन व्यय)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	42 (अन्य व्यय)	7,500 रुपये सात हजार पाँच सौ मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	49 (चिकित्सा व्यय)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	51 (वर्दी व्यय)	4,000 रुपये चार हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	55 (मकान किराया भत्ता)	12,50,000 रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र
080	2235021040400 (भिक्षावृति का निवारण)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
	कुल		3,68,16,500 (रुपये तीन करोड़ अड़सठ लाख सोलह हजार पाँच सौ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235022000900 (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण)

080	2235022000900 (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण)	02 (मजदूरी)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र
080	2235022000900	12	8,00,000

	(समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण)	(कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	रुपये आठ लाख मात्र
080	2235022000900 (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र
080	2235022000900 (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण)	42 (अन्य व्यय)	21,25,000 रुपये इक्कीस लाख पच्चीस हजार मात्र
080	2235022000900 (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र
080	2235022000900 (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र
	कुल		**2,47,25,000 (रुपये दो करोड़ सैंतालीस लाख पच्चीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235022001300 ("अभ्युदय योजना" के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण)

080	2235022001300 ("अभ्युदय योजना" के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण)	07 (मानदेय)	7,50,00,000 रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र
080	2235022001300 ("अभ्युदय योजना" के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण)	42 (अन्य व्यय)	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र
080	2235022001300 ("अभ्युदय योजना" के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र
	कुल		**17,00,00,000 (रुपये सत्रह करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235028000300 (आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था)

080	2235028000300 (आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था)	01 (वेतन)	21,00,000 रुपये इक्कीस लाख मात्र
080	2235028000300 (आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था)	03 (मंहगाई भत्ता)	12,60,000 रुपये बारह लाख साठ हजार मात्र
080	2235028000300 (आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था)	06 (अन्य भत्ते)	5,000 रुपये पाँच हजार मात्र
080	2235028000300 (आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था)	07 (मानदेय)	500 रुपये पाँच सौ मात्र
080	2235028000300 (आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था)	39 (औषधि तथा रसायन)	5,000 रुपये पाँच हजार मात्र
080	2235028000300 (आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	7,500 रुपये सात हजार पाँच सौ मात्र
080	2235028000300 (आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था)	55 (मकान किराया भत्ता)	75,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र
080	2235028000300 (आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था)	57 (प्रैक्टिस बन्दी भत्ता)	62,500 रुपये बासठ हजार पाँच सौ मात्र
	कुल		**35,15,500 (रुपये पैंतीस लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235601020301 (अधिष्ठान)

080	2235601020301 (अधिष्ठान)	01 (वेतन)	1,78,00,000 रुपये एक करोड़ अठहत्तर लाख मात्र

080	2235601020301 (अधिष्ठान)	03 (मंहगाई भत्ता)	1,06,80,000 रुपये एक करोड़ छह लाख अस्सी हजार मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	04 (यात्रा व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	06 (अन्य भत्ते)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	07 (मानदेय)	10,000 रुपये दस हजार मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	08 (कार्यालय व्यय)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	09 (विद्युत देय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	10 (जलकर / जल प्रभार)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	75,000 रुपये पचहत्तर हजार मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	49 (चिकित्सा व्यय)	3,30,000 रुपये तीन लाख तीस हजार मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	51 (वर्दी व्यय)	7,500 रुपये सात हजार पाँच सौ मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	55 (मकान किराया भत्ता)	10,50,000 रुपये दस लाख पचास हजार मात्र
080	2235601020301 (अधिष्ठान)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र
	कुल		**3,03,77,500 (रुपये तीन करोड़ तीन लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235601020302 (वृद्धावस्था /किसान पेंशन)

080	2235601020302 (वृद्धावस्था /किसान पेंशन)	63 (सामाजिक पेंशन)	28,63,32,18,500 रुपये अट्ठाईस अरब तिरेसठ करोड़ बत्तीस लाख अठारह हजार पाँच सौ मात्र
	कुल		**28,63,32,18,500 (रुपये अट्ठाईस अरब तिरेसठ करोड़ बत्तीस लाख अठारह हजार पाँच सौ मात्र)**
महायोग			**31,96,38,83,500 (रुपये इकतीस अरब छियानवे करोड़ अड़तीस लाख तिरासी हजार पाँच सौ मात्र)**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष

स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्र्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

आज्ञा से,

(रजनीकान्त पाण्डेय)

उप सचिव

Digitally signed by RAJANI KANT PANDEY
Date: 22-09-2025 18:25:18

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्डफाइल।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव